

# न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख) के अंतर्गत

परमिशन वाद सं० 78 वर्ष 2024

आवेदक- फिडका मुण्डा

क्रेता- दिनेश मुण्डा

ग्राम- कण्डेर

ग्राम- कण्डेर

थाना- महुआटाँड

जिला-बोकारो

थाना- महुआटाँड

जिला-बोकारो

हस्ताक्षर की क० सं०

तारीख

01

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर व

कार्रवाई के

टिप्पणी तारी

03

21/5/25

## आदेश

यह वाद आवेदक-फिडका मुण्डा पिता-स्व० कितवा मुण्डा वर्तमान पता ग्राम+पो०-कण्डेर, थाना-महुआटाँड, जिला-बोकारो के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरणी निम्नवत:-

| मौजा   | थाना न० | खाता न० | प्लॉट सं० | कुल रकबा | बिक्री रकबा | भूमि दर्जा                                |
|--------|---------|---------|-----------|----------|-------------|-------------------------------------------|
| कण्डेर | 45      | 17      | 919       | 1.31 ए०  | 06 डी०      | रैयती , टाँड-II<br>वर्तमान स्वरूप<br>परती |

को वे आवश्यक कार्य हेतु मो 1,26,000/- (एक लाख छब्बीस हजार) रुपये में क्रेता-दिनेश मुण्डा पिता-स्व० फेकन मुण्डा वर्तमान पता ग्राम+पो०-कण्डेर, थाना-महुआटाँड, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 834/रा०, दिनांक 25.07.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी गोमिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी गोमिया के पत्रांक-900, दिनांक-03.05.2025 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:-

01. क्रेता एवं बिक्रेता दोनों जाति के मुण्डा है। जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला-बोकारो के निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में तानु मुण्डा वगै० के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं०-21, भौलुम सं०-1 पर चिडुक मुण्डा के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 1975-76 से 2022-23 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार खतियान हैं।
03. खतियानी/जमाबन्दीधारी रैयत से बिक्रेता का संबंध वंशावली के आधार पर दादा का है। बिक्री की जाने वाली भूमि बिक्रेता के हक व हिस्से के अंतर्गत आता है एवं बिक्रेता का दखल कब्जा में हैं।

04. प्रस्तावित भूमि भू-हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि तथा अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता द्वारा अपने बयान में बतलाया गया हैं कि आवेदनांकित जमीन सर्वे खतियान में तानु मुण्डा वगै० के नाम से दर्ज हैं तथा सरकारी अभिलेख पंजी-II के पृष्ठ सं०-21, भौलुम सं०-1 पर चिडुक मुण्डा के नाम से जमाबंदी कायम हैं एवं लगान रसीद वर्ष 1975-76 से 2022-23 तक निर्गत हैं। बिक्री वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं

M

हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:-

01. बिक्रेता- खतियान की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता- आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एवं स्वयं के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी गोमिया से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता दोनों जाति के मुण्डा है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो खतियानी घरेलु बँटवारा के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक-फिडका मुण्डा पिता-स्व0 किटवा मुण्डा वर्तमान पता ग्राम+पो0-कण्डेर, थाना-महुआटॉड, जिला-बोकारो को निम्नांकित भूमि:-

| मौजा      | खाता न0 | प्लॉट सं0 | कुल रकबा | बिक्री रकबा                   | उत्तर सीमा            | द0 सीमा        | पूरब सीमा    | पश्चिम सीमा |
|-----------|---------|-----------|----------|-------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------|
| कण्डेर 45 | 17      | 919       | 1.31 ए0  | 06 डी0                        | बिक्रेता फिडका मुण्डा | सुगम्बर मुण्डा | फिडका मुण्डा | रास्ता      |
| कुल       |         |           |          | 06 डी0 (छह डिसमिल जमीन मात्र) |                       |                |              |             |

मो0 1,26,000/- (एक लाख छब्बीस हजार) रुपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता-दिनेश मुण्डा पिता-स्व0 फेकन मुण्डा वर्तमान पता ग्राम+पो0-कण्डेर, थाना-महुआटॉड, जिला-बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
बेरमो (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता  
बेरमो (तेनुघाट)।